कार्यालय तहसीलदार, शिकारपुर जिला – बुलन्दशहर

पत्रांक 2039(XIII) /र0का0 दिनांक –

प्रेस–विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील शिकारपुर के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामों के तालाबों/पोखरों को मस्त्य पालन हेतु पांच वर्षीय पट्टा आवंटन शिवर का आयोजन राजस्व संहिता के अनुसार एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार पर पंजीकृत मछुआ समितियों/समुदाय/अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर तहसील शिकारपुर में नीलाम पालन पट्टा हेतु प्रार्थना पत्र इच्छुक व्यक्तियों को दिनांक 25.03.2017 को प्रातः 10:00 बजे से उपरान्ह 2:00 बजे तक लिये जायेगें। अपरान्ह 2:00 बजे के बाद कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा अपरान्ह 2:00 बजे के बाद कोई प्रार्थना पत्र हेतु न्यूनतम बोली 5000/– रूपये प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष होगी। उपस्थित व्यक्तियों के समान वरीयता समूल में सर्वाधिक बोली के आधार पर मत्स्य पालन पट्टा आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। इच्छुक पात्र व्यक्ति खसरा, खतौनी, आय व जाति प्रमाण पत्र (विज्ञापन की तिथि से छः माह पुराना न हो) व प्रार्थना पत्र के साथ नियत तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित होकर आवंटन की कार्यवाहीं में भाग लेने हेतु उपस्थित हो। सर्वाधिक बोली दाता को नीलामी के तत्काल उपरान्त 5 वर्षीय लगान का 1/4 भाग जमा कराना होगा। पट्टा स्वीकृति/अस्वीकृत का पूर्ण अधिकार उपजिलाधिकारी महोदय शिकारपुर का होगा।

कमांक	ग्राम का नाम	गाटा सं0	क्षेत्रफल (है0 में)
1	पहासू	281	0.633
2	बूढासी	419	0.961
3	नगला सारंगपुर	30	0.923

तहसीलदार
शिकारपुर

पत्रांक /रजि0का0/मत्स्य पट्टा/2017 दिनांक –

1– उप जिलाधिकारी महोदय, शिकारपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ।
2– उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, सिकन्द्राबाद, खुर्जा, स्याना, डिबाई, अनूपशहर, बुलनदशहर की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3– सहायक निदेशक मत्स्य, बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4– जिला विज्ञान सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया नेट पर डालने का कष्ट करें।
5– अपर जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को उक्त विज्ञप्ति स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
6– राजस्व निरीक्षक पहासू/शिकारपुर को इस निर्देश के साथ कि वह अपने क्षेत्र से सम्बन्धित उक्त ग्राम के लेखपाल को इस विज्ञप्ति का प्रचार प्रसार कराने हेतु भूमि प्रबन्धक समिति के माध्यम से मुनादी कराने तथा मुनादी की प्रति निर्धारित शिवर की तिथि को कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु।
7– खण्ड विकास अधिकारी पहासू/शिकारपुर को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति का प्रचार प्रसार करायें।
8– सम्बन्धित ग्राम सभा प्रधान /अध्यक्ष भूमि समिति को सूचानार्थ।
9– सम्पादक अमर उजाला/दैनिक जागरण में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

तहसीलदार
शिकारपुर।